/font>

Title: Need for construction of an underground rail bridge at Karvi in Chitrakoot district, Uttar Pradesh.

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में नवसृजित जिला चित्रकूट के हैडक्वार्टर करवी कस्बे का नया बाजार क्षेत्र एक प्रमुख बाजार और व्यावसायिक केन्द्र है और उसी क्षेत्र में जिले के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय एवं आवास अवस्थित हैं। जिले की न्यायपालिका और जजों के सभी कार्यालय और अदालतें भी वहां बनी हैं। इसी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन भी कार्यरत है जहां प्रतिदिन कई दर्जन ट्रेनों का आवागमन होता है। रेलवे क्रॉसिंग में (समपार) फाटक लगा है जो ट्रेनों के आवागमन के कारण अक्सर बन्द रहता है। जनता को आने जाने में बड़ी कठिनाई आती है। इसी कारण फाटक के दोनों ओर इकहरी संकरी सड़कों पर वाहन रुके रहते हैं तथा अक्सर जाम लगा रहता है। इस स्थिति से निपटने और जनता को निर्बाध परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एक वैकल्पिक रेल लाइन पार व्यवस्था होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि करवी कस्बे में पयस्वनी नदी के किनारे रेल लाइन काफी अधिक उंचाई से गुजरती है तथा वहां एक छोटे अंडरग्राउंट पुल से होकर सड़क आर-पार जाती है, उसी भूमिगत पार पुल के बगल में एक दूसरा बड़ा अंडरग्राउंड पुल बनाकर अपेक्षाकृत कम व्यय भार से यह समस्या हल हो सकती है। अतः उक्त स्थान पर अंडरग्राउंड रेल पार पुल और सड़क के निर्माण की आवश्यकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Item Nos. 16 and 17, Statutory Resolution and the Bill are to be taken up together. Both the hon. Member and the hon. Minister are not here. Therefore, we are going to the next item.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I am here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): Sir, hon. Minister has submitted before the House that the House can decide to take this up tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I was told that it has already been agreed to take it up tomorrow.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, sir. We have agreed that it could be taken up tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, you have no objection.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I have no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What about the Government?

SHRI A. RAJA : Sir, we have no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then, we will go to the next item, item no. 18. Hon. Minister, Shri Anant Gangaram Geete to move for consideration and passing of the Bill. One hour's time is allotted for this discussion.